



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656357 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/ 2517

दिनांक:- 21/8/22

—: कार्यवाही विवरण :-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1) नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 06/2022 वीं बैठक दिनांक 24.08.2022 को उपायुक्त (दक्षिण) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं:-

एजेण्डा संख्या 01. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 24.08.2022)

विषय :- जोन स्तरीय समिति की 05/2022 वीं बैठक दिनांक 17.06.2022 जोन दक्षिण के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 24.08.2022)

विषय :- राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 180/2 रकबा 10118.42 वर्गगज भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. आवेदित भूमि में से एच.टी लाईनें गुजर रही है अथवा नहीं वावत् टिप्पणी कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. प्रकरण में अनुमोदित ले-आउट प्लान तक पहुंच मार्ग सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी है। ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे एवं पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर ले-आउट प्लान अनुसार ही न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।

03. मानचित्र में दर्शाये गये कुल क्षेत्रफल व राजस्व रेकॉर्ड अनुसार संदर्भित खसरान् के कुल रकबा/क्षेत्रफल का परस्पर मिलान करते हुए सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।

04. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेटबैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या 03. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 24.08.2022)

विषय :- राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 180/4 रकबा 14927.32 वर्गगज भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. आवेदित भूमि में से एच.टी लाईनें गुजर रही है अथवा नहीं वावत् टिप्पणी कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. प्रकरण में अनुमोदित ले-आउट प्लान तक पहुंच मार्ग सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी है। ले-आउट प्लान की

5

- समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे एवं पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर ले-आउट प्लान अनुसार ही न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
03. मानचित्र में दर्शाये गये कुल क्षेत्रफल व राजस्व रेकॉर्ड अनुसार संदर्भित खसरा न के कुल रकबा/क्षेत्रफल का परस्पर मिलान करते हुए सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
04. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेटबैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या 04. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 24.08.2022)

विषय :- राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 180/3 रकबा 9810.73 वर्ग मज भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. आवेदित भूमि में रो एच.टी लाईनें गुजर रही है अथवा नहीं वावट टिप्पणी कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
02. प्रकरण में अनुमोदित ले-आउट प्लान तक पहुंच मार्ग सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी है। ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे एवं पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर ले-आउट प्लान अनुसार ही न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
03. मानचित्र में दर्शाये गये कुल क्षेत्रफल व राजस्व रेकॉर्ड अनुसार संदर्भित खसरा न के कुल रकबा/क्षेत्रफल का परस्पर मिलान करते हुए सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
04. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेटबैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या 05. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 24.08.2022)

विषय :- राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 183 रकबा 88907.21 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

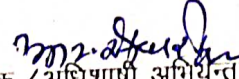
निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में वर्तमान में बराबट अनुसार टिप्पणी प्राप्त कर व संशोधित सर्वे मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 06. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 24.08.2022)

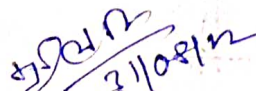
विषय :- राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 146 रकबा 96049.56 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में विद्युत लाईन की लोकेशन व क्षमता दर्शाते हुए संशोधित सर्वे मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में का निर्णय लिया गया।


तहसीलदार
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक/अधिशायी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण


उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/ 3918 to 23

दिनांक:- 31/8/22

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त दक्षिण, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशाली अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

5
31/8

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर